

ई-मेल/महत्वपूर्ण/आवश्यक।
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
टावर-2, पंचम तल, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ-226002
संख्या:डीजी-एक-39(निर्देश)-2023 दिनांक:अगस्त 08, 2023

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
समस्त पुलिस आयुक्त,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:- सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

कृपया उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या:12ए-159 (दिशा-निर्देश)-2019 दिनांक: 05.06.2020 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेशों/नियमों के आलोक में दिशा-निर्देशों से अवगत कराया गया है।

3- प्रायः यह देखा जा रहा है कि उक्त संदर्भित पत्र द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जा रहा है। सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे इस मुख्यालय को सन्दर्भित कर दिये जा रहे हैं, जबकि इस मुख्यालय के उक्त संदर्भित पत्र दिनांकित 05.06.2020 द्वारा पूर्व में स्पष्ट निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

4. सेवारत/सेवानिवृत्त भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या:12ए-159 (दिशा-निर्देश)-2019 दिनांक:05.06.2020 तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली-2011, प्रथम संशोधन नियमावली-2014, द्वितीय संशोधन नियमावली-2016 एवं तृतीय संशोधन नियमावली-2021 में निहित प्रावधानों के अनुसार परीक्षण करके सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, के स्तर पर चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति दावे निस्तारित किये जाए। उक्त पत्र पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

संलग्नक:दिशा-निर्देश की छायाप्रति।


(राजा श्रीवास्तव)

अपर पुलिस महानिदेशक,कार्मिक
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, लखनऊ
टावर-1, षष्ठम तल, पुलिस भवन (सिग्नेचर बिल्डिंग) गोमतीनगर, लखनऊ।
संख्या: 12ए-159(दिशा-निर्देश)2019 दिनांक: जून 5, 2020

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषय:-

चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों के निस्तारण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश

कृपया पुलिस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-वारह/ए-चिकित्सा निर्देश-2011 दिनांक 8.11.2011, अधिसूचना संख्या: 2275/5-6-11-1082/87, दिनांक 20.09.2011 के क्रम में परिपत्र संख्या: तेईस-चिकित्सा निर्देश-2014 दिनांक 27.3.2014, अधिसूचना संख्या:-474/पांच-6-14-1082/87टीसी दिनांक 04.03.2014 (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2014 एवं परिपत्र संख्या: तेईस-चिकित्सा निर्देश-2015 दिनांक 19.11.2015 (छाया प्रति संलग्न) की प्रति आपको प्रेषित की गयी है, का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त अधिसूचना के नियम-20 को संशोधित करते हुए सेवारत/सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चिकित्सा दावों के स्वीकृतकर्ता अधिकारी को निम्नवत अधिकार प्रतिनिधानित किये गये हैं:-

दावे की धनराशि	स्वीकृतकर्ता प्राधिकारी
रु० 2,00,000/- तक	कार्यालयाध्यक्ष (जनपदीय प्रभारी/इकाई प्रभारी)
रु० 2,00,000/- से अधिक रु० 5,00,000/- तक	विभागाध्यक्ष (जोनल पुलिस महानिरीक्षक/अपर पुलिस महानिदेशक)
रु० 5,00,000/- से अधिक रु० 10,00,000/- तक	सरकार के प्रशासकीय विभाग
रु० 10,00,000/- से अधिक	वित्त विभाग के पूर्वानुमोदन और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की संस्तुति के पश्चात सरकार में प्रशासकीय विभाग

3. इस सम्बन्ध में यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि भारतीय सेवा, प्रान्तीय सेवा एवं एलाइड सेवा से सेवानिवृत्त हुए राजपत्रित अधिकारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावा रु० 2,00,000/- तक कार्यालयाध्यक्ष तथा रु० 2,00,000/- से अधिक रु० 5,00,000/- तक विभागाध्यक्ष द्वारा ही तदनुसार निस्तारित किये जायें तथा रु० 5,00,000/- से अधिक के दावे, पुलिस मुख्यालय उ०प्र० लखनऊ के माध्यम से शासन को स्वीकृत हेतु संदर्भित किया जाय।

4. उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 2011 के नियम-24 में वर्णित है कि यह नियमावली अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों पर उन मामलों में लागू होगी जहाँ अखिल भारतीय सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियमावली, 1954 के प्रावधान इस नियमावली से निम्नतर हैं।

5. ज्ञातव्य है कि शासनादेश संख्या: 1495/छ:पु०से०-02-10-522(5)/84 दिनांक 15.02.2011 द्वारा परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों एवं पुलिस उपमहानिरीक्षकों को विभागाध्यक्ष घोषित करते हुए उन्हें संलग्न सूची के 48 कार्यों हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गये हैं।

6. उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या 3886/छ-पु०से०-2-99-522 (5)/14 दिनांक 22.10.1999 में पुलिस महानिरीक्षक के स्थान पर अपर पुलिस महानिदेशकों को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है और इन्हें भी विभागाध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार

Sec-I

अपर पुलिस महानिरीक्षक (कर्मिक)

मुख्यालय पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ


10/6

AC II
10/6

प्रदान किये गये हैं। इस प्रकार शासन द्वारा निर्गत आदेशों से स्पष्ट है कि पीएसी, सी.आई.डी., अभिसूचना एवं सुरक्षा, रेलवे, फायर सर्विस, प्रशिक्षण, तकनीकी सेवायें के स्थान पर अपर पुलिस महानिदेशक को विभागाध्यक्ष घोषित किया गया है तथा उन्हें प्रतिनिधानित वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार दिए गये हैं। इसके अतिरिक्त अपर पुलिस महानिदेशक, ई.ओ.डब्ल्यू, रेडियो संचार, भ्र0नि0 संगठन, विशेष जाँच व वाराणसी जोन के पुलिस महानिरीक्षक को विभागाध्यक्ष पूर्व से घोषित किया गया है।

7. पुलिस मुख्यालय के पत्र संख्या कल्याण-23 (चि0नि0)-2019 दिनांक 24.12.2019 द्वारा शासनादेश संख्या 3886/छ-पु0से0-2-99-522 (5)/14 दिनांक 22.10.1999 के अनुपालन में सरकारी सेवकों एवं सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति के दावे रू0 5.00 लाख तक के बिल जनपद, पीएसी व इकाई के सम्बन्धित विभागाध्यक्ष द्वारा निस्तारित किये जाने के निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं।

8. अतएव शासन/पुलिस मुख्यालय द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों/परिपत्रों के आलोक में जनपद/इकाईयों में नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों (आई0पी0एस0 अधिकारियों सहित)/कर्मचारियों के चिकित्सा दावों का निस्तारण करें।
संलग्नक: यथोपरि


(हरिचरण सिंह)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि अपर पुलिस महानिदेशक, कार्मिक, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, टावर-2, पंचम तल गोमतीनगर विस्तार, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या: डीजी-एक-39(निर्देश)-2019 दिनांक 27.2.2020 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।